



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1705 का संशोधन सहीत नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1705

विषय / Sub : टी 652 कंडीशन में एल्युमिनियम अलॉय एचएफ 15 फॉर्जिंग्स, अस्त्र हेतु साइजेस:
Ø 190 x Ø 470 मिमी, Ø 190 x Ø 130 x 850 मिमी and Ø 190 x Ø 500 मिमी

**Aluminium Alloy HF 15 Forgings in T 652 Condition, Sizes: Ø 190 x Ø 470 mm,
Ø 190 x Ø 130 x 850 mm and Ø 190 x Ø 500 mm for ASTRA**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स डेकान स्मिथ्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं.16, फेस-1, आई.डी.ए, मल्लापुर, हैदराबाद- 500 076, द्वारा विकसित तथा उत्पादित " टी 652 कंडीशन के साइजेस में एल्युमिनियम अलॉय एचएफ 15 फॉर्जिंग्स" Ø 190 x Ø 470 मिमी, Ø 190 x Ø 130 x 850 मिमी और Ø 190 x Ø 500 मिमी को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1705, दिनांक 18 जनवरी 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1705 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

This is to state that the "Aluminium Alloy HF 15 Forgings in T 652 Condition of Sizes" Ø 190 x Ø 470 mm, Ø 190 x Ø 130 x 850 mm and Ø 190 x Ø 500 mm for ASTRA, developed and manufactured by M/s Deccan Smiths Private Limited, Plot No. 16, Phase - I , I.D.A, Mallapur, Hyderabad - 500 076 was issued with Type Approval No.:1705 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1705, dated: 18th January 2012 and with its validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 28 फरवरी 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (पदार्थ), डी आर डी ओ, कंचनबाग पोस्ट, हैदराबाद- 500 058, से अनुरोध करना होगा।

This is to *certify* that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st March 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 28th February 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), DRDO, Kanchanbagh Post, Hyderabad – 500 058 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1705, दिनांक 18 जनवरी 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1705, dated: 18th January 2012.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.


4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1705/1R

दिनांक / Date : 21 April 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856





(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)